क़ुरआन हकीम
और
हमारी ज़िम्मेदारियां

लेखक– डा० इसरार अहमद

अनुवाद –

डा० रफ़ीक़ अहमद

क़ुरआन हकीम
और
हमारी ज़िम्मेदारियां

लेखक- डा० इसरार अहमद

अनुवाद -

डा० रफ़ीक़ अहमद

किताब का नाम	:	क़ुरआन हकीम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ
लेखक	:	डा0 इसरार अहमद
अनुवाद	:	डा० रफ़ीक़ अहमद M.: 9451767474
हिन्दी एडीशन	:	2019
प्रतियाँ	:	1000
पृष्ठ	:	20
कम्पोज़िंग	:	शाहनवाज़
प्रिन्टर्स	:	रहमान प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स आबूनगर–फ़तेहपुर
क़ीमत	:	**20/-**

प्रकाशक

अल्फाबेट पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स

इलाहाबाद

●

मिलने का पता :

असद बुक डिपो

11-C, **याकूतगंज, नखासकोना-इलाहाबाद**

Mob. : 9307408918

क़ुरआन अज़ीम तरीन नेअमत

मुहतरम हज़रात ! आप ने देखा होगा कि हमारे घरों में एक ऐसी किताब है जिसका बहुत सम्मान किया जाता है। उस किताब को हम ख़ूबसूरत ग़िलाफ़ में लपेट कर घर में किसी ऊँची जगह पर रखते हैं कि उसकी बेअदबी न हो। कभी कभी घर का कोई बुज़ुर्ग उसे खोलकर बहुत एहतिमाम से बावज़ू होकर पढ़ भी लेता है। ख़ासतौर पर कुछ मज़हबी घरानें में घर के सभी लोग रोज़ाना उसे पढ़ते हैं और बच्चों को भी उसकी तालीम देने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन आजकल अकसर घरों में इस किताब को पढ़ने का कोई एहतिमाम (प्रयोजन) नज़र नहीं आता और उसे केवल एक पवित्र ग्रन्थ के तौर पर घर में किसी ऊँची जगह पर रख दिया जाता है।

आप समझ गये होंगे कि जिस किताब का हम ज़िक्र कर रहे हैं वह क़ुरआन मजीद है। यह क़ुरआन अल्लाह का कलाम है जो ज़मीन व आसमान का सृष्टा, मालिक और हमारा पालनहार है और यूं तो हम पर अल्लाह तआला के एहसानात इस क़दर हैं कि हम ज़िन्दगी भर उसका शुक्र अदा करते रहें तब भी वह उन एहसानों का बदला नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्ल0 ने बताया है कि इस जगत में इंसानों पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने इंसान को अपना कलाम यानी क़ुरआन मजीद अता फ़रमाया है। इसलिए कि क़ुरआन मजीद वह नेमत है कि अगर हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमारी दुनिया भी सुधर जाती है और आख़िरत भी सँवर जाती है। ग़ौर कीजिए अगर किसी व्यक्ति के हाथ कोई ऐसा नुस्ख़ा (Prescription) आ जाये कि जिसकी वजह से उसे दुनिया में भी इज़्ज़त और कामयाबी हासिल हो और आख़िरत में भी सफलता की गारन्टी मिल जाये तो क्या होगा। अब हम मुसलमानों की बदक़िस्मती देखिए कि हमारे पास वह नुस्खा–ए–हिदायत (मार्गदर्शन ग्रंथ) मौजूद है जो हमें दुनिया और आख़िरत की कामयाबी

की गारन्टी देता है लेकिन हम उसकी अज़मत व महानता से नावाक़िफ़ हैं। हमारी मिसाल उस फ़क़ीर की सी है जिसके प्याले में हीरा मौजूद हो लेकिन वह अपनी मूर्खता में उसे काँच का टुकड़ा समझकर दूसरों से भीख मांगता फिरता हो।

लिहाज़ा हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो क़ुरआन की क़द्र व क़ीमत का इल्म हासिल करें। क़ुरआन की अज़मत व महानता की शान तो यह है कि इस क़ुरआन से जो व्यक्ति भी वाबस्ता होगा वह इंसानों में बेहतरीन क़रार पायेगा और जो क़ौम क़ुरआन को मज़बूती से थामती हैं उसे इस दुनिया में ही बुलन्दी अता कर दी जाती है। मानो क़ुरआन तो वह गुणकारी नुस्ख़ा है जो क़ौमों की तक़दीर बदल देने की शक्ति रखता है बक़ौल मौलाना हाली–

उतर कर हिरा से सूए क़ौम आया
और इक नुस्ख़ा–ए–कीमिया साथ लाया

लेकिन यह जान लीजिए कि अगर अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा एहसान फ़रमाया है कि क़ुरआन जैसी महान दौलत हमें अता प्रदान की है तो हमारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एहसान पर अल्लाह तआला का भरपूर तरीक़े से शुक्र अदा करें।

लेकिन अल्लाह का शुक्र हम किस तरह में अदा करें? इसे एक मिसाल से समझिए ! देखिए अगर किसी खुशक़िस्मत बेटे को उसके पिता कोई अच्छी सी पुस्तक उपहार में दे तो सोचिए कि उस बेटे का अपने पिता के प्रति क्या रवइया होगा, वह बच्चा सबसे पहले तो ज़बान से अपने पिता का शुक्रिया अदा करेगा, फिर शुक्र व एहसानमन्दी के जज़्बे के साथ उस किताब का अध्ययन करेगा और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। दरअस्ल इसी तरह का रवइया हमारा क़ुरआन के साथ भी होना चाहिए। यानी यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम

1. इस क़ुरआन पर ईमान लाऐं,
2. इस की तिलावत करें,
3. इस को समझें अैर इस पर ग़ौर व फ़िक्र करें।

अगर हम क़ुरआन मजीद के इन हक़ों और अधिकारों को अदा करेंगे तो दुनिया व आख़िरत की सफलता हमारे हिस्से में आयेंगी लेकिन अगर हमने इन ज़िम्मेदारियों को अदा न किया तो यही क़ुरआन अल्लाह की अदालत में हमारे ख़िलाफ़ बतौर दलील पेश होगा तो आईये उन अधिकारों को विस्तार से समझने की कोशिश करें।

<u>पहला हक़</u> :–

क़ुरआन पर ईमान लाया जाये

यह बात देखने में अजीब सी मालूम होगी कि मुसलमानों से यह मांग की जा रही है कि क़ुरआन मजीद पर ईमान लाया जाये हालांकि क़ुरआन मजीद पर ईमान लाये बग़ैर कोई मुसलमान कहला ही नहीं सकता। लेकिन यह बात आप आसानी से समझ जायेंगे कि अगर इस हक़ीक़त को ज़ेहन में रखें कि ईमान के दो हिस्से होते हैं। एक ज़बान से इक़रार करना और दूसरा है दिल से तसदीक़ (पुष्टि) करना। और ईमान पूर्ण तभी होता है जब ज़बानी इक़रार के साथ–साथ दिल का यक़ीन भी इंसान को हासिल हो जाये।

इसलिए कि जिस चीज़ पर हमारा यक़ीन हो, हमारा अमल उसके ख़िलाफ नहीं जा सकता। आपको मालूम है कि आग जलाती है इसलिए कोई व्यक्ति आग में उँगली नहीं डालता, बल्कि हमारा तो यह तरीक़ा है कि जिस चीज़ पर हमें सन्देह हो हम उसके बारे में भी सावधानी बरतते हैं। हमें मालूम है कि अधिकतर साँप ज़हरीले नहीं होते लेकिन हम फिर भी किसी भी साँप को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा यह दावा है कि हमें क़ुरआन मजीद पर पूरा यक़ीन है लेकिन हमारा तरीकेकार इसके ख़िलाफ़ है इसलिए कि हमारा मामला यह है कि हम न तो उसकी तिलावत नियमानुसार करते हैं और न उसे समझने की कोशिश करते हैं और न ही उसके आदेशों पर अमल करते हैं। इसलिए साबित हुआ कि दर अस्ल हमारा ईमान कमज़ोर है। हम ज़बान से तो इक़रार करते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है लेकिन

यक़ीन की दौलत से खाली हैं। वरना जिसे यक़ीन हासिल हो जाये उसका तो ओढ़ना बिछोना भी क़ुरआन बन जाता है। सहाबा–ए–कराम के सामने जैसे ही क़ुरआन की आयात नाज़िल होतीं उनकी यह कोशिश होती थी कि उन्हें जल्द याद कर लें। पूछा जा सकता है कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाये। इसका जवाब यह है कि इस का बस एक ही ज़रिया है और वह खुद क़ुरआन मजीद है। बक़ौल मर्हूम मौलाना ज़फ़र अली–

वह जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आयें दुकाने–फल्सफ़ा से
ढूँढे से मिलेगी क़ारी को यह क़ुरआन के सीपारों में।

जब हमें यक़ीन हो जायेगा कि क़ुरआन अल्लाह का कलाम है और हमारे हिदायत व मार्गदर्शन के लिए अवतरित हुआ है तो फिर उसके साथ हमारे सम्बन्धों में एक इन्क़िलाब आ जायेगा फिर हमें महसूस होगा कि इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे क़ुरआन से बढ़कर और कोई दौलत उससे महान कोई दूसरी नेमत नहीं है।

दूसरा हक :–

क़ुरआन की तिलावत की जाये

हम मुसलमानों पर क़ुरआन हकीम का दूसरा हक़ यह है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें इसलिए कि किसी अच्छी किताब को न पढ़ना बड़े अपमान की बात है। यही वजह है कि इस किताबे इलाही के असल कद्र करने वालों की ये कैफ़ियत क़ुरआन मजीद में बयान हुई है।

' 'जिन लोगों को हमने किताब प्रदान की वह उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है।'' अल्लाह तआला हम सब को तौफ़ीक़ दे कि हम क़ुरआन मजीद की तिलावत का हक़ अदा कर सकें (आमीन)।

इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना है कि क़ुरआन हकीम की बार–बार तिलावत और पाठ क्यों ज़रूरी है। ये तो हम सब

जानते हैं कि इंसान अशरफुल मख़्लूक़ात यानी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है यहां तक कि फ़रिश्तों ने भी उसे सजदा किया था और उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया था।

लेकिन उसके अशरफुल मख़्लूक़ात और सर्वश्रेष्ठ होने का मूल कारण यह है कि उसकी तखलीक और स्वरूप में जहां मिट्टी और गारा शामिल हैं वहीं रूहे रब्बानी भी उसमें फूंकी गई थी। जैसा कि कुरआन मजीद में अल्लाह तआला फ़रिश्तों से सम्बोधित होकर कहता है : ''मैं मिट्टी से एक इन्सान बनाने वाला हूँ फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूँ और उसमें अपनी रूह फूक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ''

मानों इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी यानी इंसान की रचना के दो भाग हैं। एक उसका गोश्त–पोस्त का शरीर है जो मिट्टी से बना है और दूसरा भाग उस रूह और आत्मा पर आधारित है जिसका सम्बंध खुद अल्लाह ने अपनी ज़ात की तरफ फ़रमाई है। इस गोश्त–पोस्त वाले हिस्से की सारी ज़रूरतें ज़मीनी संसाधनों ही से पूरी होती हैं। हम जो कुछ खाते हैं वह इसी ज़मीन से हासिल होता है हमारा लिबास जिन चीज़ों से तैयार होता है वह भी इसी ज़मीन से प्राप्त होता है, और हमारे मकान तो मिट्टी–गारे ही से तैयार होते हैं। लेकिन रूह का सम्बंध चूंकि इस ज़मीन से नहीं बल्कि आलमे मलकूत (दूसरी दुनिया) से है लिहाज़ा उसकी खूराक़ भी ज़मीन से प्राप्त नहीं होती, वही–ए–इलाही (ईशवाणी) के रूप में आसमानों से आती है।

इस ऐतबार से कुरआन हकीम दरअस्ल हमारी रूह के लिए ग़िज़ा (भोजन) का काम देता है और उसकी तिलावत रूह की तरक्की और उसे तरोताज़ा बनाये रखने का महत्वपूर्ण ज़रिया है। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस तरह हम अपने शरीर को सेहतमन्द और हस्टपुष्ट रखने के लिए निरन्तर प्रयास करते हैं और अच्छी से अच्छी ग़िज़ा का प्रबन्ध करते हैं, इसी तरह अपनी रूह यानी आत्मा को तरोताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि हम बार–बार कुरआन की

तिलावत किया करें और उसे अच्छे से अच्छे अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करें। तिलावते क़ुरआन का हक़ अदा करने के लिए नीचे दी गई बातों का एहतिमाम ज़रूरी है।

तजवीद (उच्चारण विधि) :

क़ुरआन मजीद की सही तिलावत के लिए तजवीद का सीखना बहुत ज़रूरी है। तजवीद से तात्पर्य है अरबी अक्षरों के उच्चारण का तरीका उनकी सही अदाएगी और क़िरात के बुनियादी नियमों से वाकफियत हासिल करना। तजवीद का जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बग़ैर क़ुरआन की सही तिलावत सम्भव नहीं बल्कि शंका है कि कहीं क़ुरआन के मायने और मतलब में परिवर्तन न हो जाए। जैसे ''क़ुल'' का मतलब है 'कहो' लेकिन अगर उसे 'कुल' पढ़ लिया तो उसका मतलब हो जाएगा 'खाओ'। इसी तरह ''अन–अमता'' का मतलब है 'तूने इनाम किया' लेकिन अगर इसे 'अन्अमतु' पढ़ दिया जाए तो उसका मतलब हो जाएगा 'मैंने इनाम किया'। आपने देखा कि ''अ'' और ''उ'' की मामूली सी ग़लती से अर्थ में कितना फ़र्क़ हो गया। साबित यह हुआ कि तजवीद का सीखना तिलावत की बुनियादी शर्त है।

आन्तरिक और ज़ाहिरी आदाब :

क़ुरआन मजीद की तिलावत करते हुए कुछ आदाब का ख़्याल रखना ज़रूरी है। जिनमें से कुछ ज़ाहिरी आदाब हैं और कुछ का ताल्लुक़ इंसान के बातिन (अन्तर) से है। ज़ाहिरी आदाब में बावज़ू होना, लिबास का पाक होना और क़िबले की ओर मुंह करके बा–अदब बैठना शामिल है। इसी तरह आदाबे तिलावत में से यह भी है तिलावत की शुरूआत– **अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम** और **बिस्मिल्ला–हिर्रहमानिर्रहीम** से की जाए। बातिनी और आन्तरिक आदाब ये हैं कि दिल में अल्लाह तआला और उसके कलाम की अज़मत और महानता का एहसास हो और अल्लाह तआला के पूछगच्छ का ख़ौफ़ और उसकी मोहब्बत का जज़्बा दिल में पैदा करने की नियत हो। इसी तरह तिलावत

हमेशा हिदायत हासिल करने की नियत से करनी चाहिए और दिल में यह इरादा होना चाहिए कि जो कुछ समझ में आया उस पर अमल करूंगा और क़ुरआन के तक़ाज़ों के मुताबिक़ अपनी ज़िन्दगी के रुख़ को मोड़ूंगा।

रोज़ाना का मामूल :

क़ुरआन हकीम की तिलावत का हक़ अदा करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसकी तिलावत को बाक़ायदा अपने रोज़ाना के मामूलात (दिनचर्या) में शामिल किया जाए। रोज़ाना कितनी तिलावत की जाए, इसमें कम और ज़्यादा की गुंजाइश मौजूद है। और अलग–अलग लोगों के लिए उसकी तादाद मुख़्तलिफ़ हो सकती हैं। लेकिन तीन दिन से कम की अवधि में क़ुरआन मजीद की तिलावत को मुकम्मल करना सही नहीं है। यानी रोज़ाना दस सिपारों से ज़्यादा तिलावत करना हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ मुनासिब नहीं है। फिर भी रोज़ाना कम से कम एक पारा ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि एक माह में क़ुरआन हकीम की तिलावत पूरी हो जाए। सहाबा किराम रज़ि0 का मामूल था कि वे रोज़ाना एक मन्ज़िल की तिलावत करके सात दिन में क़ुरआन मजीद मुकम्मल कर लिया करते थे। और यह बात तो आपको मालूम होगी कि क़ुरआन मजीद में कुल सात मंज़िलें हैं और हर मंज़िल लगभग साढ़े चार पारों पर आधारित होती है जिसकी तिलावत पूरे सुकून और आराम से दो घंटों में की जा सकती है।

खुश इल्हानी (अच्छी आवाज़) :

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ताक़ीद के साथ फ़रमाया है कि : ''ज़य्येनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम''

यानी क़ुरआन को अपनी आवाज़ों से सुसज्जित करो और इस मामले में कोताही पर बड़े सख़्त शब्दों में चेतावनी है।

''यानी जो शख़्स क़ुरआन को अच्छी आवाज़ से न पढ़े वह हम में से नहीं है।'' इसलिए हमें अपनी कोशिश की हद तक क़ुरआन को बेहतर से बेहतर अंदाज़ में और अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए।

तरतील (ठहराव) :

क़ुरआन की तिलावत का हक़ अदा करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उसे तरतील यानी ठहराव के साथ पढ़ें। तरतील का मतलब है ठहर–ठहर कर पढ़ना। यानी क़ुरआन की हर आयत पर रुकते हुए उसके मायने और मतलब को समझते हुए और उसके प्रभावों को दिल में समोते हुए पढ़ा जाए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को शुरू ही में ये हुक्म दे दिया गया था कि –

यानी ''ऐ कम्बल में लिपटकर लेटने वाले (मुहम्मद) सल्ल0 रात को (अपने रब के सामने) खड़े हुआ करो... और क़ुरआन को ठहर–ठहर कर पढ़ा करो।'' अल्लामा इक़बाल ने इस रात के क़याम को कितने ख़ूबसूरत अंदाज़ में तर्ग़ीब दिलाई है कि–

कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही

हिफ़्ज़ (याद करना) :

क़ुरआन की तिलावत ही का एक हिस्सा हिफ़्ज़े क़ुरआन यानी क़ुरआन को याद करना भी है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि हिफ़्ज़ुल क़ुरआन, पूरे के पूरे क़ुरआन को ज़बानी याद कर लेने का नाम है और ये काम किसी विशेष वर्ग के लोगों के करने का है। ज़ाहिर है कि ये ख़्याल ठीक नहीं बल्कि हिफ़्ज़े क़ुरआन से तात्पर्य यह है कि हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरआन को याद करने की कोशिश करता रहे ताकि वह इस क़ाबिल हो सके कि नफ़्ल नमाज़ों में और ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरआन पढ़ सके। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि आप तहज्जुद की नमाज़ में लम्बी क़िरत किया करते थे। कभी–कभी एक–एक रक्अत में कई–कई पारों की तिलावत फ़रमाया करते थे। लिहाज़ा हम में से हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वह क़ुरआन का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर याद करे.... और क़ुरआन मजीद के आख़िरी पारे में सूरतें ज़्यादा लम्बी नहीं हैं और आम तौर पर नमाज़ों में

उन्हीं को पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे क़ुरआन को याद करने का एहतिमाम करता है तो यक़ीनन उसके लिए बहुत बड़ा अज्र व सवाब है जिसका ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हदीसों में मौजूद है।

<u>तीसरा हक़</u> :

क़ुरआन को समझा जाए

क़ुरआन मजीद का तीसरा हक़ यह है कि उसे समझा जाए। क़ुरआन मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लेकिन यही वह सब से ज़्यादा मज़लूम किताब भी है जो बग़ैर समझे सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। हमारा मतलब ये नहीं है कि ख़ुदा न ख़्वास्ता बग़ैर समझे उसकी तिलावत में कोई सवाब नहीं है। आप सल्ल0 का वह फ़रमान–ए–मुबारक हमारे सामने है जिसमें आप सल्ल0 ने फ़रमाया है कि क़ुरआन मजीद के हर हर्फ़ (अक्षर) पर दस नेकियाँ हैं। फिर आप सल्ल0 ने मिसाल देते हुए फ़रमाया कि ''अलिफ़, लाम, मीम'' तीन हर्फ़ हैं। इनकी तिलावत पर तीस नेकियाँ मिलती हैं। आपके इस क़ौल मुबारक से ये बात साबित होती है कि बग़ैर समझे तिलावत करना भी सवाब से ख़ाली नहीं। लेकिन हमारे लिए क़ाबिले ग़ौर बात यह है कि वह लोग जिन्होंने दुनियावी तालीम हासिल करने में तमाम ज़िन्दगियाँ खपा दीं लेकिन अल्लाह के दीन को समझने के लिए बुनियादी अरबी तक न सीख सके, वह अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? अगर हम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं, लेकिन अल्लाह के पवित्र संदेश को समझने की ख़ातिर अरबी ज़बान सीखने की कोशिश तक नहीं करते तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी निगाहों में अल्लाह के कलाम की कोई क़द्रो–क़ीमत नहीं है। अपने इस तरीक़ेकार से हम मानो क़ुरआन की तौहीन के मुजरिम रहे हैं जो बहुत बड़ा जुर्म है। लिहाज़ा वह तमाम लोग जिन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की है यानी मैट्रिक, बी.ए. या एम.ए. वग़ैरा किया है उनके लिए अरबी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है।

क़ुरआन मजीद के समझने और उससे नसीहत करने के दो दर्जे हैं। पहला दर्जा ''तज़क्कुर'' का है। तज़क्कुर का लफ़्ज़ 'ज़िक्र' से बना है और जिसका मतलब है याद दिहानी । ये बात आपके इल्म में होगी कि क़ुरआन अपने आपको 'अज़–ज़िक्र' भी कहता है। यानी मुकम्मल याद दिहानी व नसीहत और याद दिहानी हमेशा किसी भूली–बिसरी बात की कराई जाती है और याद दिहानी के लिए कोई निशानी बहुत काम की साबित होती है। मिसाल के तौर पर आपके किसी करीबी दोस्त ने कुछ साल पहले आपको गिफ्ट में कोई अच्छा सा क़लम दिया। वह क़लम आप अपनी अलमारी के किसी कोने में रखकर भूल गए। उस दोस्त से भी कई साल से मुलाक़ात न हो सकी। अब अचानक किसी दिन आपको अलमारी में दोस्त का दिया हुआ वह क़लम नज़र आ जाता है, इस निशानी को देखते ही उस दोस्त की याद भी ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह क़ुरआन की आयतें भी निशानी का काम करती हैं। हम अपनी गफ़लत की वजह से अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन जब क़ुरआन की तिलावत करते हैं तो उसका एक–एक आयत निशानी का काम करता है। और इस पर ग़ौर करने से अल्लाह की याद दिल में ताज़ा हो जाती है। इस ऐतबार से यूँ महसूस होता है कि वह वादा ''अलस्त'' जिस अहद का ज़िक्र सूरह अल आराफ़ में है, जो अल्लाह तआला ने तमाम इंसानों से उस वक़्त लिया था जब अभी रूहों की रचना हुई थी, उसको याद दिलाने के लिए क़ुरआन मजीद को नाज़िल किया जाता है। यही वजह है कि क़ुरआन मजीद के हर वाक्य को आयत कहा जाता है जिसका मतलब है निशानी। यानी क़ुरआन की आयतों को अगर हम समझकर पढ़ें तो अल्लाह पर ईमान और उसकी बंदगी के प्रतिज्ञा की याद दिहानी हो जाती है। और चूंकि इस याददिहानी की ज़रूरत ही हर शख़्स को है लिहाज़ा अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद को इस पहलू से बहुत आसान बना दिया है। जैसा कि क़ुरआन में इरशाद होता है।

''और हमने क़ुरआन को याद दिहानी के लिए आसान बना दिया है। तो है कोई इससे फ़ायदा उठाने वाला।''

क़ुरआन मजीद को समझने और उससे नसीहत हासिल करने का दूसरा दर्जा ''तदब्बुर'' कहलाता है यानी क़ुरआन में ग़ौर फ़िक्र और सोच–विचार करना, उसमें से इल्म व हिकमत और मारिफ़त के मोती चुनकर निकालना। आप सल्ल0 ने फ़रमाया है कि क़ुरआन एक ऐसी किताब है जिसके पढ़ने से उलेमा (विद्वान) कभी सैर न हो सकेंगे। और न ही ज़्यादा तिलावत से इसके लुत्फ़ में कमी आएगी और न ही इसके इल्म का ख़ज़ाना कभी ख़त्म होगा। इस अंदाज़ से क़ुरआन को पढ़ने और क़ुरआनी इल्म के ख़ज़ाने से वास्तविक रूप से लाभान्वित होने के लिए आला दर्जे की इल्मी क़ाबिलियत की ज़रूरत होती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए लाज़िम भी नहीं है लेकिन हर दौर में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो इस अंदाज़ से क़ुरआन का अध्ययन करें, पूरी ज़िन्दगी क़ुरआन पर ग़ौरो फ़िक्र में खपा दें और उसकी हिक्मत और इल्म को आम करें।

चौथा हक़ :–

इस पर अमल किया जाए

क़ुरआन मजीद का चौथा हक़ हर मुसलमान पर ये है कि वह इस पर अमल करे और उसे अपनी ज़िन्दगी के लिए मार्गदर्शक बनाए। और हक़ीक़त तो यह है कि क़ुरआन को पढ़ना और समझना तभी ज़्यादा फायदेमंद होगा जब इस पर अमल भी किया जाए। क़ुरआन तो ''हुदल–लिन्नास'' यानी तमाम लोगों के लिए रहनुमाई (मार्गदर्शन) है। इसमें हमारे लिए हर हर मामले के लिए हिदायतें मौजूद हैं। क़ुरआन हमें बताता है कि हमें किन बातों पर अमल करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आदेश भी हैं और सामूहिक क़ानून भी। और अल्लाह तआला ने ये तफसीली हिदायतें इसी लिए हमें अता की हैं कि हम उनके मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारें। अगर हम अल्लाह तआला के क़ानून और उसकी शरीअत को लागू नहीं करते तो ये बड़ी नाशुक्री की बात है। क़ुरआन मजीद में सूरह अल्–माईदा में इरशाद हुआ है :

''जो लोग अल्लाह के नाज़िल किए हुए (क़ुरआन) के मुताबिक़ फ़ैसले नहीं करते वही तो काफ़िर हैं।''

इसी बात को नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक और अंदाज़ से स्पष्ट किया। आप सल्ल0 फरमाते हैं :

''जिस शख़्स ने किसी ऐसी चीज़ को अपने लिए जाइज़ ठहराया जिसे क़ुरआन ने हराम क़रार दिया हो तो ऐसा शख़्स क़ुरआन पर ईमान नहीं रखता।''

ये हमारे लिए बड़ी चौंका देने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में हुज़ूर ये फ़रमा रहे हैं कि वह मोमिन नहीं है। इससे साबित हुआ कि ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम क़ुरआन को इस इरादे से पढ़ें और समझें कि हमें हर हाल में क़ुरआन के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे हमें कितनी ही तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ें और कैसी ही क़ुरबानियाँ देनी पड़ें, इसके बग़ैर क़ुरआन पर अमल का हक़ अदा नहीं हो सकता।

हक़ीक़त तो यह है कि जो लोग क़ुरआन की सिर्फ़ तिलावत करते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते उनके लिए क़ुरआन की तिलावत कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी बल्कि इस बात का अंदेशा भी है कि इस तरह की तिलावत उनके हक़ में नुक़सानदेह साबित हो। इमाम ग़ज़ाली रह0 अपनी किताब ''अहयाउल उलूम'' में लिखते हैं कि क़ुरआन के कुछ पढ़ने वाले हैं कि जिन्हें सिवाए लानत के कुछ हासिल नहीं होता।'' इसलिए कि जब वह क़ुरआन पढ़ते हैं कि–

''झूठों पर अल्लाह की लानत हो'' और अगर वह ख़ुद झूठ बोलते हैं तो ये लानत ख़ुद उन्हीं पर हुई। इसी तरह कम तोलने, थोड़ा नापने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले और व्यंग करने वाले क़ुरआन हकीम को पढ़ते हुए ख़ुद क़ुरआन मजीद की दर्दनाक सज़ाओं के पात्र बन जाते हैं।

जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की ज़िन्दगियों पर नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि उन

लोगों की ज़िन्दगियों में क़ुरआन रचा बसा हुआ था, उनका हर–हर अमल इस बात की गवाही देता था कि उन्होंने क़ुरआन को सचमुच अपना मार्गदर्शक बनाया है और उन्होंने अपने मर्ज़ी को क़ुरआन के आगे झुका दिया है। हज़रत आयशा (रज़ि0) से एक सहाबी रज़ि0 ने ये सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसललम की सीरत कैसी थी? उन्होंने जवाब में इर्शाद फ़रमाया कि ''उनकी सीरत क़ुरआन ही तो थी''। यानी हुज़ूर सल्ल0 की ज़िन्दगी इस तरह क़ुरआन के आदेशों के मुताबिक़ थी जैसे आप एक चलता–फिरता क़ुरआन थे। हमारे लिए इसमें रहनुमाई ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि क़ुरआन के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारें तो हमारे लिए हुज़ूर सल्ल0 की ज़िन्दगी एक बेहतरीन नमूना है। हुज़ूर के नक़्शे क़दम पर चलना, क़ुरआन पर अमल करने का ज़रिया है।

क़ुरआन के कुछ आदेश व्यक्तिगत ज़िन्दगी से हैं, जैसे नमाज़ रोज़ा, हज, ज़कात, हलाल रिज़्क़ कमाना, दूसरों के साथ सदव्यहार करना वगैरह, ये आदेश हर मुसलमान के लिए हर समय लाज़िम हैं। लेकिन वह आदेश जो सामूहिक मामलों से सम्बन्धित हैं। जैसे चोर का हाथ काटना, सूदी व्यवस्था की समाप्ति वग़ैरह, ऐसे आदेशों पर उस वक़्त तक अमल नहीं किया जा सकता जब तक ताक़त और हुकूमत मुसलमानों के हाथों में न हो। इस लिए ऐसे हालात में जबकि मुसलमानों के पास सत्ता और हुकूमत न हो, तमाम मुसलमानों पर लाज़िम हो जाता है कि वह ग़लबा–ए– इस्लाम के लिए जद्दोजेहद करें ताकि क़ुरआन के सारे हुक्मों पर अमल करना मुम्किन हो जाये। इसलिए कि क़ुरआन के कुछ हुक्मों पर अमल करना और कुछ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है। यहूदियों में ये गुमराही पैदा हो गई थी कि वह ''तौरात'' की कुछ हिदायतों और आदेशों को तोड़ देते थे। उस पर अल्लाह तआला ने ''सूरतुल बक़रा'' में बड़े ही सख़्त अल्फ़ाज में चेतावनी दी है। इर्शाद होता हैः ''क्या तुम किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो और कुछ का इंकार करते हो ?

तो तुम में से जो कोई ऐसा करे उसकी सज़ा उसके सिवा ओर क्या हो सकती है कि उसे दुनिया में ज़लील और अपमानित कर दिया जाए और आख़िरत में कठोर यातना में धकेल दिया जाए।'' ऐसा मालूम होता है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की ज़िल्लत और अपमान का मूल कारण यही है कि हमने क़ुरआन को छोड़ दिया है। हम क़ुरआन हकीम के कुछ आदेशों पर तो अमल करते हैं लेकिन अकसर हुक्मों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हैं बल्कि क़ुरआन से हमारी गफलत व लापरवाही का ये आलम है कि हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि क़ुरआन में हमें क्या हिदायत और हुक्म दिये गये हैं । अल्लामा इक़बाल ने आज से 50 साल पहले इस बात की निशानदही कर दी थी कि–

वह ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमाँ होकर
और तुम ख़्वार हुए तारिके क़ुरआँ होकर

<u>पांचवाँ हक़</u> :–

इसे दूसरों तक पहुँचाया जाए

क़ुरआन हकीम का पाँचवाँ और आख़िरी हक़ ये है कि इसे लोगों तक पहुँचाया जाए। यानी इसके पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने पर ही न रुक जाए बल्कि ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वह तमाम लोगों तक इसके पैग़ाम को पहुंचाऐ। इसलिए कि अगर हम मुसलमान इस क़ुरआन को पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे तो और कौन पहुंचाएगा? हुज़ूर सल्ल0 तो अल्लाह के आख़िरी नबी थे, अब क़ियामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। इसलिए जिन लोगों तक अल्लाह का सन्देश अभी तक नहीं पहुँचा उन तक इस सन्देश को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अब हुज़ूर सल्ल0 की उम्मत पर है। हुज़ूर अकरम सल्ल0 ने लगातार 23 वर्ष इसी क़ुरआन की दावत व तबलीग़ (प्रचार–प्रसार) का फ़रीज़ा अंजाम दिया। और याद रखिए कि ये कोइ आसान काम न था। ये बहुत मेहनत और मशक्कत वाला काम था। इस राह में आप सल्ल को हर तरह की मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त

करनी पड़ीं। लेकिन आपने हर मुसीबत को पूरे सब्र और नम्रता से बर्दाश्त किया और अपने मिशन को जारी रखा। यहां तक कि 23 साल की भरपूर जद्दोजेहद (संघर्ष) के नतीजे में आप सल्ल0 ने अरब के पूरे इलाके में न सिर्फ़ ये कि अल्लाह के पैग़ाम और उसके आख़िरी हिदायत नामे को भरपूर अंदाज में पहुँचा दिया बल्कि इस हिदायत की बुनियाद पर एक निज़ामे हुकूमत (शासन व्यवस्था) क़ायम करके ये साबित कर दिया कि अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ही सही तरीन रास्ता है और अल्लाह का का दीन दुनिया के तमाम निज़ामों और व्यवस्थाओं से बेहतर है। फिर आप (सल्ल0) ने आख़िरी ख़ुतबे के मौक़े पर पहले तो अपने तमाम सहाबा रज़ि0 से ये गवाही ली कि क्या मैंने अल्लाह का दीन और उसका पैग़ाम तुम तक पहुँचा दिया है? और जब तमाम सहाबा रज़ि0 ने बुलन्द आवाज़ से ये कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपने तब्लीग़ का हक़ अदा कर दिया है तब आप सल्ल0 ने फ़रमायाः ''अब जो लोग यहां मौजूद हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वह अल्लाह के दीन और उसके पैग़ाम को उन तक पहुंचाऐं जो यहां मौजूद नहीं।'' यानी हुज़ूर सल्ल0 ने अपने मिशन को पूरा करने के बाद क़ियामत तक आने वाली नस्ल इंसानी तक अल्लाह के कलाम को पहुंचाने की ज़िम्मेदारी उम्मत के कंधें पर डाल दी जैसे –

वक़्ते फ़ुरसत है कहां काम अभी बाक़ी है
नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाक़ी है

मुसलमानों की इसी ज़िम्मेदारी को हुज़ूर सल्ल0 ने एक और अंदाज से वाज़ेह फ़रमाया है। आप का इर्शाद हैः ''पहुंचाओ मेरी तरफ़ से चाहे एक ही आयत'' यानी अगर किसी व्यक्ति ने अभी सिर्फ़ एक ही आयत सीखी है तो उसे चाहिए कि वह उसी एक आयत को दूसरों तक पहुँचाये और इस तरह तब्लीग़े क़ुरआन के नबवी मिशन में अपना हिस्सा अदा करे। मालूम हुआ कि क़ुरआन की तब्लीग़ करना हर मुसलमान के ज़िम्मे है। जिसने जितना क़ुरआन पढ़ा और सीखा हो वह उसकी तब्लीग़ करे और जितना सीखता जाए उतना ही दूसरों तक

पहुँचाता जाए। देखिए किसी के ज़हन में ये ख़्याल न आये कि कुरआन का पढ़ना और पढ़ाना कोई मामूली दर्जे का काम है। हुज़ूर सल्ल0 का ये फ़रमान तो बहुत मशहूर है कि–

''यानी तुम में बेहतरीन शख़्स वह है जो कुरआन सीखे और दूसरों को सिखाए।''

हममें से हर एक की ख़्वाहिश होती है कि वह अपने लिए बेहतरीन कैरियर का चुनाव करे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करता है ताकि दुनिया में इज़्ज़त से ज़िन्दगी गुजारे लेकिन आप ग़ौर करें कि हमारे नबी सल्ल0 ने हमारे लिए जिस बेहतरीन कैरियर का चयन किया है वह न सिर्फ़ दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार की वजह है बल्कि आख़िरत की कामियाबी की ज़मानत भी है। तो हम में से कौन है जो इस कैरियर को अपनाते हुए कुरआन के पढ़ने पढ़ाने ही को अपना औढ़ना बिछौना बना ले।

अल्लाह तआला से दुआ है कि सबको कुरआन मजीद के हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

आमीन ।

★ ★ ★

हुमाम पब्लिकेशन्स की प्रकाशित पुस्तकें

पुस्तक	लेखक	अनुवादक
1. कुरआन मजीद का सरल हिन्दी अनुवाद		मौ0 अब्दुल करीम पारेख
2. अज़मते कुरआन	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
3. राहे नजात	डा0 इसरार अहमद	डा0 शगुफ़्ता जबीं
4. नबी अकरम सल्ल० से हमारे तआल्लुक की बुनियादें	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
5. मुसलमानों पर कुरआन मजीद के हुकूक़	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
6. दीनी फ़राइज़ का जामेअ तसव्वुर	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
7. इस्लाम में बैंअत की अहमियत	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
8. विश्व शान्ति और कुरआन	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
9. मुसलमान औरतों के दीनी फ़राइज़	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
10. हुकूक़े ज़ौजैन	शै0 मह0 अहमद याासीन मुस्ताज़ नजमी	
11. कुरआन मजीद की कूव्वते तस्ख़ीर	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
12. एक इस्लाही तहरीक बमये खुतबा–ए–निकाह	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
13. इताअत का कुरआनी तसव्वुर	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
14. नबी–ए–अकरम सल्ल0 का मक़सदे बएसत	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
15. रसूल इन्क़िलाब का तरीक़ए इन्क़िलाब	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
16. इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
17. इस्लाम की नशअते सानिया (पुनर्जागरण)	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद

18. कर्बला का वाक़िआ	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
19. मेराज रसूल सल्ल0	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
20. दुनिया की अज़ीम तरीन नेअमत कुरआन हकीम	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
21. रसूले कामिल, नबूअत व रिसालत और उसका मक़सद	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
22. इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
23. दावत इलल्लाह	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
24. मुन्तख़ब निसाब भाग 1	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
25. मुन्तख़ब निसाब भाग 2	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
26. मुन्तख़ब निसाब भाग 3	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
27. ईसाईयत और इस्लाम	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
28. शहीदे मज़लूम (हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि०)	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
29. सुलह हुदैबिया (सूरह फतेह में आखिरी रुकू की रोशनी में)	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
30. मेराजुन्नबी सल्ल0	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
31. ख़त्मे नबूअत	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
32. उस्वये रसूल सल्ल० (सूरह अहज़ाब के तीसरे रुकू की रोशनी में)	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
33. मुतालबाते दीन	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
34. ईदुल अज़हा और फ़लसफ़ये कुर्बानी	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद
35. शिर्क की हक़ीक़त	डा0 इसरार अहमद	डा0 रफ़ीक़ अहमद

हमारी अन्य पुस्तकें

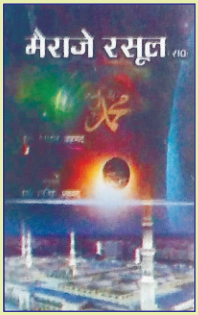

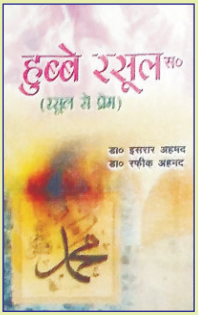

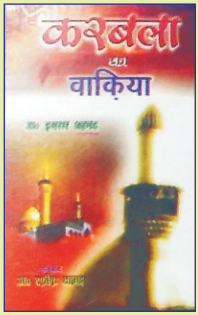

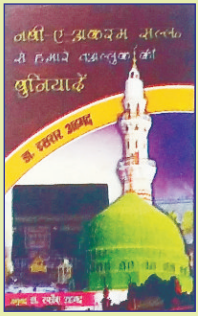

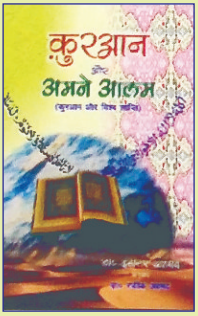

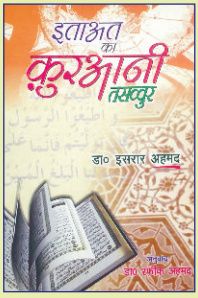

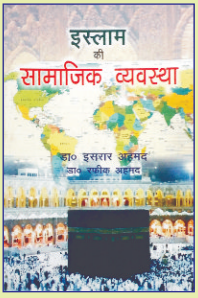

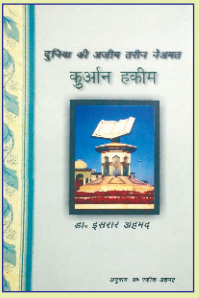

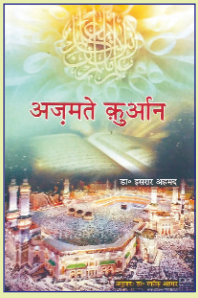

HUMAM PUBLICATIONS

Maulvi Abdul Qadir Masjid Campus, 2074 Kucha Nahar Khan
IInd Floor, Darya Ganj, New Delhi-110002 (M): +91 9811200621
email : humampublications@gmail.com